The court of D.A.S.J. 1st Jamui

SC ST 43/2026

23.04.2026 विद्वान अपर लोक अभियोजक की ओर से एक आवेदन दिया गया। आवेदन मे यह कथन किया गया कि इसी प्राथमिकी के लिये आज ही एस0सी0 एवं एस0टी0 काण्ड संख्या 02/2026 चल रहा है। मूल प्राथमिकी एस0सी0 एवं एस0टी0 काण्ड संख्या 02/2026 के साथ है। अतः न्याय के प्रर्वधन एवं साक्षियो के अवान्छनीय परेशानियों के निवारण हेतु इस एस0सी0 एवं एस0टी0 काण्ड संख्या 43/2026 का समायोजन एस0सी0 एवं एस0टी0 काण्ड संख्या 2/2026 में करने का कष्ट करे, क्योंकि दोनों ही अभिलेखों में समान अपराध के लिये आरोप का गठन हुआ था। दोनों ही अभिलेख अभियोजन साक्ष्य हेतु है और दोनों ही अभिलेखो में अभी एक भी साक्ष्य प्रस्तुत नही हुआ।

इस आवेदन पर अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नही है। मै भी विद्वान अपर लोक अभियोजक के इन कथनो एवं आवेदन से सहमत हूं। अतः एस0सी0 एवं एस0टी0 काण्ड संख्या 43/2026 का समायोजन एस0सी0 एवं एस0टी0 काण्ड संख्या 02/2026 में किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा यह आदेशित किया जाता है कि एस0सी0 एवं एस0टी0 काण्ड संख्या 43/2026 के अभियुक्तो का विचारण अब एस0सी0 एवं एस0टी0 काण्ड संख्या 02/2026 में होगा।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम

The court of D.A.S.J. 1st Jamui
SC ST -02/2026

23.04.2026 विद्वान अपर लोक अभियोजक की ओर से इसी प्राथमिकी से जनित एस0सी0 एवं एस0टी0 काण्ड संख्या 43/2026 में आज पारित आदेश से विदित होता है कि एस0सी0 एवं एस0टी0 काण्ड संख्या 43/2026 के अभिलेख का समायोजन इस अभिलेख के साथ करने का निर्देश, इस आधार पर हुआ है कि यह अभिलेख एवं एस0सी0 एवं एस0टी0 काण्ड संख्या 43/2026 एक ही प्राथमिकी से है एवं आरोप गठन के पश्चात ये अभिलेख अभियोजन साक्ष्य हेतु है। इन दोनों अभिलेखो में अभी तक एक भी अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत नही हुआ है। अर्थात दोनों अभिलेख समान अवस्था में है एवं यह अभिलेख मूल अभिलेख है। मूल प्राथमिकी इसी अभिलेख के साथ है।

अतः एस0सी0 एवं एस0टी0 काण्ड संख्या 43/2026 में पारित आदेशों के आलोक में आज के बाद से एस0सी0 एवं एस0टी0 काण्ड संख्या 43/2026 के अभियुक्तों खीरू यादव उर्फ सुनील यादव, अनिल यादव, सुभाष यादव उर्फ सुभाष कुमार, शंकर यादव एवं रूपेश यादव का विचारण इसी अभिलेख में होगा।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम

web copy